पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,
"निर्माण भवन," प्रथम तल, प्लाट नं.27–28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)
web site: www.mppwd.gov.in **email:-sepwdadminenc@mp.nic.in**
Phone- 0755-2551485, Fax- 2556527

क्रमांक 303/040/2016/754 भोपाल, दिनांक 11/04/2018

//आदेश//

पी.ईबी.,भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा–2017 मे विभाग के उपयंत्री(विद्युत) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित श्री चेतन कोठे, आत्मज श्री सुरेश कोठे (अनुसूचित जाति) को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम–1972 (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग में उपयंत्री (वि/यां.) के पद पर वेतनमान –(**PB-2-₹** 9300–34800+**Grade Pay** ₹ 3200/–) में म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के PAY MATRIX LEVEL 8- 32800-103600 में न्यूनतम वेतन रूपये 32,800/–प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति कर कार्यालय कार्यपालन यंत्री,लो.नि.वि.वि/यॉ उपसंभाग खण्डवा में पदस्थ किया जाता है :–

<u>शर्ते निम्नानुसार है :–</u>

1. उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थी की आपसी वरिष्ठता पी.ई.बी. द्वारा चयन क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यर्थी को संपूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 1972 के अध्यधीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुदद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यधीन रहेंगे।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम, 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज् में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को पदस्थगी स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र एवं निःशक्तजनों के लिए निःशक्तता प्रमाण–पत्र मूल एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत कर <u>समस्त मूल प्रमाण–पत्रों से मिलान करवाना होगा</u>।
7. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में भविष्य में असत्य अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
8. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

9. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के अंदर अपने पदस्थगी स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

10. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित नवीन पेंशन अंशदान प्रणाली लागू होगी।

11. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र अपने निकटस्थ अधिकारी को शपथ–पत्र के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित अधिकारी उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवायेगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अभ्यर्थी के विरूद्ध पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है,कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,
भोपाल दिनांक 11/04/2018

पृ. कमांक 303/040/2016/755
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव,माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय,भोपाल
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल
4. नियंत्रक,मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल,भोपाल
5. परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लो.नि.वि.म.प्र.भोपाल
6. समस्त मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश
7. अधीक्षण यंत्री,लोक निर्माण विभाग,वि/यां.मंडल,भोपाल
8. अधीक्षण यंत्री(आई.टी.सेल)कार्या.प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि.,भोपाल की ओर आदेश अपलोड करने हेतु।
9. कोषालय अधिकारी,जिला कोषालय,खण्डवा।
10. कार्यपालन यंत्री,लोक निर्माण विभाग, वि/यॉ संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
    निर्देशित किया जाता है,कि नवनियुक्त उपयंत्री की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त औपचारिकताऍ पूर्ण कर, नवनियुक्त उपयंत्री की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. निज सहायक,प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,भोपाल
12. स्थापना शीर्ष–302/304/305 कार्यालय प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि.,भोपाल
13. श्री चेतन कोठे, आत्मज श्री सुरेश कोठे, 18/54, पहाड़सिंगपुरा,खरगोन, खरगोन, पिन–कोड 451001 की ओर सूचनार्थ। कृपया अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित संभागीय कार्यालय में दे।

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश